

राम बचन लाल

बनाम

बिहार राज्य

28 फ़रवरी 1967

[के. सुब्बा राव, मुख्य न्यायाधीश, जे. सी. शाह, एस. एम. सिकरी, वी. रामास्वामी एवं सी. ए. वैद्यालिंगम, न्यायमूर्तिगण]

बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, (बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम 7, 1922), धारा 82(1)(एफएफ), 150-ए से 150-इ, 388 एवं 389 —व्यवसाय कर — क्या यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है —भारत का संविधान, अनुच्छेद 14, 19 एवं 31।

उत्तरदाता-अधिसूचित क्षेत्र समिति ने बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, 1922 के अंतर्गत व्यवसाय कर आरोपित किया तथा याचिकाकर्ता को मांग अधिसूचना जारी किए। याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिका दायर कर अधिनियम के प्रावधानों को इस आधार पर चुनौती दी कि वे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 एवं 31 का उल्लंघन करते हैं, यह कहते हुए कि—(i) अधिनियम की धारा 388 एवं 389 सरकार को यह मनमाना अधिकार प्रदान करती हैं कि वह अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत नगरपालिका अथवा धारा 388 के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन कर सके; (ii) आरोपित किए जाने वाले कर की दर आयुक्त एवं सरकार के विवेक पर छोड़ दी गई है, बिना कर की मात्रा के संबंध में कोई मार्गदर्शन प्रदान किए; (iii) धारा 82(1) के प्रावधान (iv) को इस कारण शून्य बताया गया कि उसमें यह संकेत नहीं दिया गया है कि किन परिस्थितियों में सरकार आयुक्तों को धारा 82(1)(एफएफ) के अंतर्गत कर आरोपित करने का निर्देश दे; (iv) अधिनियम में कर के निर्धारण एवं मूल्यांकन की समुचित प्रक्रिया का प्रावधान नहीं किया गया है; तथा (v) अधिनियम में अपील या संदर्भ का कोई प्रावधान नहीं है और मूल्यांकन से पीड़ित निर्धारिती के लिए एकमात्र उपाय धारा 150-इ के अंतर्गत पुनर्विचार आवेदन दायर करना है।

अभिनिर्धारित : याचिका खारिज की जाती है।

(i) अधिनियम की धारा 4 तथा 388 सरकार को पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। धारा 4(1) ऐसे नगर की परिकल्पना करती है जिसमें कम से कम पाँच हजार की जनसंख्या हो, जनसंख्या का एक निश्चित घनत्व हो तथा वयस्क पुरुष जनसंख्या का तीन-चौथाई भाग कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में संलग्न हो। ये आवश्यकताएँ यह दर्शाती हैं कि वह क्षेत्र विकास की उस अवस्था में पहुँच चुका है जहाँ सरकार को वहाँ नगरपालिका का गठन करना चाहिए। धारा 388 तभी लागू होगी जब धारा 4 की आवश्यकताएँ पूरी न हों, किंतु फिर भी सरकार यह आवश्यक समझे कि अधिनियम के सभी या किसी उद्देश्य के लिए प्रशासनिक प्रावधान किए जाएँ।

(ii) अनुसूची-IV कर की अधिकतम सीमा निर्धारित करती है तथा धारा 150-डी उन उद्देश्यों को निर्दिष्ट करती है जिनके लिए कर का उपयोग किया जा सकता है। यह आयुक्तों अथवा राज्य सरकार को कर की दर निर्धारित करने हेतु पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करता है।
कलकत्ता नगर निगम बनाम लिबर्टी सिनेमा पर अवलंबन किया गया।

(iii) सरकार आयुक्त को कर आरोपित करने का निर्देश केवल तभी देगी जब आयुक्त अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं करेंगे।

(iv) अधिनियम की धारा 150-ए की व्याख्या (i) स्पष्ट रूप से यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के अंतर्गत आयकर के लिए आकलनीय है, तो उसकी करयोग्य आय उसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाएगी; और यदि वह आयकर के लिए आकलनीय नहीं है, तो उसकी करयोग्य आय यथासंभव उसी अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गणना की जाएगी।

(v) इन परिस्थितियों में, धारा 150-इ पीड़ित पक्ष को एक युक्तिसंगत उपाय प्रदान करती है। धारा 150-इ(2) यह निर्देश देती है कि आवेदन की सुनवाई एवं निस्तारण धारा 115, 117, 118 एवं 119 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। व्यवसाय कर का विषय अत्यधिक जटिल नहीं है तथा मूल्यांकन एवं पुनर्विचार के लिए प्रदान की गई प्रक्रिया युक्तिसंगत है।

रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डालमियानगर बनाम बिहार राज्य का संदर्भ लिया गया।

मूल क्षेत्राधिकार : भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दायर 1966 की रिट याचिका संख्या 194, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु।

याचिकाकर्ता की ओर से — बी. सेन एवं के. के. सिन्हा।

उत्तरदाताओं की ओर से — बी. पी. झा।

न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति सिकरी द्वारा दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस याचिका में, देहरी-डालमियानगर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा जारी मांग अधिसूचना को अभिखंडित करने की मांग की गई है, जिसमें बिहार और उड़ीसा नगर पालिका अधिनियम, 1922 (बी. एवं ओ. अधिनियम VII, 1922) - जिसे आगे अधिनियम कहा गया है - के तहत लगाए गए व्यवसाय कर के मद में 100 रुपये की मांग की गई है। यह मांग अधिसूचना याचिकाकर्ता श्री राम बचन लाल, भूमि अधिकारी, जो रोहिला इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डालमियानगर के कर्मचारी हैं, से 1963-64 से 1965-66 की अवधि के लिए है। इस अधिसूचना को इस आधार पर अभिखंडित करने की मांग की गई है कि जिस अधिनियम के तहत इसे जारी किया गया है, उसके प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

देहरी-डालमियानगर अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन 23 मई, 1942 की अधिसूचना द्वारा किया गया था, जो अधिनियम की धारा 388 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जारी की गई थी। धारा 388 इस प्रकार है:

"388. अधिसूचित क्षेत्र का गठन-

(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकती है कि इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी क्षेत्र में प्रशासनिक प्रावधान करना आवश्यक है, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट हो, नगर पालिका या छावनी को छोड़कर।

(2) जिस क्षेत्र के संबंध में ऐसी अधिसूचना जारी की गई है, उसे इसके बाद अधिसूचित क्षेत्र कहा जाएगा।"

धारा 389 राज्य सरकार को अधिसूचित क्षेत्र में कराधान लगाने, अधिनियमों को लागू करने और समिति का गठन करने में सक्षम बनाती है। यह धारा इस प्रकार है:

“389. अधिसूचित क्षेत्र में कर आरोपित करने की शक्ति, अधिनियमों को लागू करने की शक्ति तथा समितियों के गठन की शक्ति

—

राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा—

(क) इस अधिनियम के किसी भी ऐसे प्रावधान को, जो किसी नगरपालिका पर लागू किया जा सकता है, अथवा इस या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत किसी नगरपालिका में प्रवर्तित या बनाए जा सकने वाले किसी नियम या उपविधि को, किसी अधिसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू या अनुकूलित कर सकती है;

(ख) किसी अधिसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग में ऐसा कोई भी कर आरोपित कर सकती है, जो उस स्थिति में आयुक्तों द्वारा आरोपित किया जा सकता, यदि वह अधिसूचित क्षेत्र नगरपालिका होता; तथा

(ग) अधिसूचित क्षेत्र में इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी समिति की नियुक्ति कर सकती है अथवा उसकी नियुक्ति या निर्वाचन के लिए नियम बना सकती है।”

धारा 389 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 23 मई 1941 की अधिसूचना द्वारा बिहार के राज्यपाल ने अधिसूचित क्षेत्र पर अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान लागू किए—

अध्याय I — धारा 3।

अध्याय II — धाराएँ 21 से 27, 29 से 48, 51 से 52 की खंड (ख), (ग) एवं (घ)।

अध्याय III — धाराएँ 58 से 78 तथा 81।

अध्याय IV — धाराएँ 82(1)(ख), (ग), (फ), (i), (j), धारा 82(2), 84, 86 से 88, 98 से 150 तथा 154 से 163।

अध्याय V, VI, VII, VIII तथा X — संपूर्ण।

अध्याय XI — धाराएँ 340, 341 तथा 342 से 343।

अध्याय XII तथा XIII — संपूर्ण।

अधिनियम में 1953 के बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 32, 1953) द्वारा संशोधन किया गया, जिसके द्वारा धारा 82 की उपधारा (1) में खंड (एफएफ) जोड़ा गया, जो इस प्रकार है—

“82. कर आरोपित करने की शक्ति—

(1) आयुक्त, समय-समय पर, इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से आहूत बैठक में, जिसकी विधिवत सूचना दी गई हो, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन तथा राज्य सरकार की स्वीकृति से, नगरपालिका की सीमाओं के भीतर निम्नलिखित कर एवं शुल्क या उनमें से किसी को आरोपित कर सकते हैं—

(एफएफ) चतुर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट व्यवसायों, पेशों, आह्वानों एवं नियोजनों पर ऐसा कर, जिसकी दरें उसमें निर्दिष्ट अधिकतम दरों से अधिक न हों, जैसा कि आयुक्त बैठक में समय-समय पर निर्धारित करें:

परंतु यह कि बैठक में आयुक्तों द्वारा निर्धारित दरें राज्य सरकार की स्वीकृति के अधीन होंगी तथा कर की दरों में ऐसे संशोधन एवं कर लगाए जाने योग्य पेशों, व्यवसायों एवं आह्वानों के वर्गों को ऐसे अपवाद प्रदान किए जा सकेंगे, जैसा कि राज्य सरकार निर्देश दे।”

अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (1) में 1959 के बिहार अधिनियम 3 द्वारा परंतुक (iv) जोड़ा गया, जो इस प्रकार है—

“परंतु यह कि आयुक्त—

(iv) यदि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा निर्देश दे, तो इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए भी, धारा 84 एवं 85 तथा प्रथम एवं चतुर्थ अनुसूचियों में निर्दिष्ट अधिकतम सीमाओं के अधीन,

खंड (ख), (ग), (फ) अथवा (एफएफ) में उल्लिखित करों को ऐसी दरों पर तथा ऐसी तिथियों से नगरपालिका की सीमाओं के भीतर आरोपित करेंगे, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए।”

1953 के बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम द्वारा अध्याय IV-क भी जोड़ा गया, जो व्यवसायों, पेशों, आह्वानों एवं नियोजनों पर कर से संबंधित है। यह अध्याय धारा 150-क से धारा 150-ई तक समाविष्ट करता है। धारा 150-क यह उपबंध करती है कि ऐसा कर देने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति अर्धवार्षिक अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा तथा धारा 82 की उपधारा (1) के खंड (एफएफ) के अंतर्गत उसके ऊपर निर्धारित कर का भुगतान करेगा, परंतु यह कि कर केवल उसी आय पर आरोपित किया जाएगा, जो उस नगरपालिका की सीमाओं के भीतर उस वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में अर्जित हुई हो, जिसके लिए कर लगाया गया है। द्वितीय परंतुक उन व्यक्तियों को अपवर्जित करता है, जिनकी करयोग्य आय प्रति वर्ष 1,500 रुपये से अधिक नहीं है, या जिनके व्यवसाय स्थल का मूल्य प्रति माह 10 रुपये से अधिक नहीं है, या जिनकी नियोजन से आय प्रति वर्ष 2,400 रुपये से अधिक नहीं है। धारा 150-क की व्याख्याएँ इस प्रकार हैं—

“व्याख्या (1)— इस धारा के अंतर्गत कर देने के लिए उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति की करयोग्य आय वही मानी जाएगी, जो भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई हो, और जहाँ ऐसा व्यक्ति उक्त अधिनियम के अंतर्गत आयकर आकलन के अधीन न हो, वहाँ उसकी करयोग्य आय, यथासंभव, उसी अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गणना की जाएगी।

व्याख्या (2)— उक्त अधिनियम के अंतर्गत गणना की गई करयोग्य आय की राशि उपलब्ध कराने का दायित्व उस व्यक्ति पर होगा, जो इस धारा के अंतर्गत कर देने के लिए उत्तरदायी है।”

धारा 150-ख आयुक्तों को सूचना मांगने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 150-ग, धारा 150-ख के अंतर्गत प्रस्तुत विवरणों एवं विवरणियों को गोपनीय घोषित करती है। धारा 150-घ, जो व्यवसायों, पेशों, आह्वानों एवं नियोजनों पर लगाए गए कर से प्राप्त धनराशि के उपयोग से संबंधित है, इस प्रकार है—

“150-घ. धनराशि का उपयोग— धारा 82 की उपधारा (1) के खंड (एफएफ) के अंतर्गत आरोपित व्यवसाय, पेशा, आह्वान एवं नियोजन कर से आयुक्तों द्वारा संग्रहित समस्त धनराशि—

(1) ऐसी नगरपालिका में, जहाँ धारा 292 के अंतर्गत स्वीकृत जल-आपूर्ति योजना के अनुसार पाइप जल-आपूर्ति की व्यवस्था हो, इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए भी, संग्रह एवं पर्यवेक्षण की लागत का ऐसा अनुपातिक भाग घटाने के पश्चात, जैसा कि आयुक्त बैठक में निर्धारित करें, संपूर्णतः या आंशिक रूप से, तथा राज्य सरकार द्वारा निर्देशित शर्तों एवं अपवादों के अधीन, जल-आपूर्ति के विस्तार अथवा रख-रखाव के व्ययों तथा उससे संबंधित ऋणों के पुनर्भुगतान अथवा ब्याज भुगतान में व्यय की जाएगी; और यदि कर की आय का केवल एक भाग इस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाए, तो शेष राशि नगरपालिका निधि का भाग बनेगी;

(2) ऐसी नगरपालिका में, जहाँ पाइप जल-आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है, वह समस्त राशि नगरपालिका निधि का भाग बनेगी।”

धारा 150-ई निम्नलिखित रूप में पुनर्विचार का प्रावधान करती है—

“150-ई. पुनर्विचार हेतु आवेदन— (1) कोई भी व्यक्ति, जो अपनी कुल आय अथवा करयोग्य आय के आकलन से या अपने ऊपर देय कर की राशि के निर्धारण से असंतुष्ट हो, अथवा जो अपने ऊपर आकलन की देयता का विवाद करता हो, आयुक्त के समक्ष अपनी कुल आय, करयोग्य आय या कर की राशि के पुनर्विचार हेतु अथवा स्वयं को आकलन की देयता से मुक्त किए जाने हेतु आवेदन कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन की सुनवाई एवं निस्तारण, यथासंभव, धारा 115, 117, 118 तथा 119 में

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, मानो ऐसे आवेदन धारा 116 के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हों।”

1 मार्च 1957 को बिहार के राज्यपाल ने धारा 82 की उपधारा (1) के खंड (एफएफ) तथा अधिनियम की धाराएँ 150-क से 150-ई तक के प्रावधानों को देहरी-डालमियानगर अधिसूचित क्षेत्र पर लागू किया। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि ये प्रावधान देहरी-डालमियानगर अधिसूचित क्षेत्र पर लागू किए जा चुके हैं। 4 मार्च 1957 को बिहार के राज्यपाल ने देहरी-डालमियानगर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा व्यवसायों, पेशों, आह्वानों एवं नियोजनों पर कर आरोपित किए जाने को स्वीकृति प्रदान की। उक्त अधिसूचना में यह प्रावधान किया गया कि कर अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट अधिकतम दरों पर लगाया जाएगा। 23 मार्च 1959 को बिहार के राज्यपाल ने धारा 82 की उपधारा (1) के परंतुक (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूची में उल्लिखित नगरपालिकाओं तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियों—जिसमें देहरी-डालमियानगर अधिसूचित क्षेत्र समिति भी सम्मिलित थी—के आयुक्तों को निर्देश दिया कि वे धारा 82 की उपधारा (1) के खंड (एफएफ) में उल्लिखित कर को चतुर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट अधिकतम दरों पर 1 अप्रैल 1959 से आरोपित करें। इसके पश्चात देहरी-डालमियानगर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने पेशा कर आरोपित किया तथा याचिकाकर्ता को 1963-64, 1964-65 एवं 1965-66 के लिए पृथक मांग अधिसूचना भेजे और बाद में इन तीनों वर्षों को सम्मिलित करते हुए आक्षेपित मांग अधिसूचना जारी किया।

याचिका में अनेक बिंदु उठाए गए थे, परंतु याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी. सेन ने हमारे समक्ष केवल दो बिंदु उठाए। उनका तर्क था— (1) अधिनियम की धाराएँ 388 और 389 संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं; तथा (2) धारा 82 की उपधारा (1) का खंड (एफएफ), धाराएँ 150-क से 150-ई तथा चतुर्थ अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 14, 19(ग) तथा 31 का अतिक्रमण करती हैं।

प्रथम बिंदु के संबंध में यह आक्षेप किया गया कि धाराएँ 388 और 389 राज्य सरकार को यह तय करने के लिए मनमानी शक्ति प्रदान करती हैं कि वह अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत नगरपालिका गठित करे अथवा धारा 388 के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र समिति गठित करे। यह उल्लेखनीय है कि अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन बहुत पहले, अर्थात् 1942 में ही किया जा चुका था। इस बिंदु पर निर्णय दिए बिना हम यह मान लेते हैं कि श्री बी. सेन धाराएँ

388 और 389 की वैधता को चुनौती देने के अधिकारी हैं। तथापि, हमारे मत में इस तर्क में कोई बल नहीं है। धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) एवं (ख) इस प्रकार उपबंध करते हैं—

“4. नगरपालिका की सीमाएँ गठित करने या उनमें परिवर्तन करने के आशय की घोषणा—

(1)(क) जब राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि किसी नगर की वयस्क पुरुष जनसंख्या का तीन-चौथाई भाग कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में संलग्न है तथा वह नगर कम से कम पाँच हजार निवासियों वाला है और उस नगर के क्षेत्रफल के प्रति वर्ग मील में औसतन कम से कम एक हजार निवासी हैं, तब राज्य सरकार यह घोषित कर सकती है कि ऐसे नगर को—उसके निकटवर्ती किसी रेलवे स्टेशन, ग्राम, भूमि या भवन को सम्मिलित करते हुए या उससे पृथक रखते हुए—नगरपालिका के रूप में गठित किया जाए और इस अधिनियम के सभी या किसी प्रावधान को उस पर लागू किया जाए।

(ख) जब राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि कोई नगरपालिका या नगरपालिका का कोई क्षेत्र खंड (क) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करता, अथवा जब आयुक्तों ने इस संबंध में बैठक में कोई अनुशंसा की हो, तब राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है कि ऐसी नगरपालिका को इस अधिनियम के प्रवर्तन से बाहर किया जाए अथवा उस क्षेत्र को नगरपालिका से पृथक किया जाए।”

यह स्पष्ट है कि धारा 4(1) ऐसे नगर की परिकल्पना करती है जिसमें कम से कम पाँच हजार निवासी हों, जिसकी जनसंख्या का घनत्व निश्चित स्तर का हो तथा जहाँ वयस्क पुरुष जनसंख्या का तीन-चौथाई भाग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में संलग्न हो। ये शर्तें यह दर्शाती हैं कि संबंधित क्षेत्र विकास के उस स्तर पर पहुँच चुका है, जहाँ राज्य सरकार को वहाँ नगरपालिका गठित करनी चाहिए। धारा 388 तभी लागू होती है, जब धारा 4 की शर्तें पूरी नहीं होतीं, परंतु फिर भी राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि इस अधिनियम के सभी या किसी उद्देश्य

के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की जाए। हमारे मत में यह प्रावधान राज्य सरकार को पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करता है और इस प्रकार सरकार को कोई मनमानी शक्ति नहीं दी गई है।

दूसरे बिंदु पर आते हुए, धारा 82 को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई है। पहला तर्क यह दिया गया कि धारा 82 की उपधारा (1) के खंड (एफएफ) के परंतुक के अंतर्गत सरकार को किसी भी वर्ग के पेशों, व्यवसायों या आह्वानों को कर से मुक्त करने की शक्ति दी गई है, बिना यह बताए कि किन परिस्थितियों में किन वर्गों को छूट दी जानी चाहिए। हम इस सैद्धांतिक प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं समझते, क्योंकि—पहला, सरकार ने अब तक इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया है; और दूसरा, यदि हम इस परंतुक को संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध भी मान लें, तो भी वह पृथक करने योग्य होगा और इससे याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं मिलेगी। दूसरा आक्षेप यह है कि धारा 82 की उपधारा (1) के खंड (एफएफ) के अंतर्गत आयुक्तों को तथा उसी धारा के परंतुक (iv) के अंतर्गत सरकार को कर की दर निर्धारित करने का विवेकाधिकार दिया गया है, परंतु कर की मात्रा के संबंध में कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया है। हमें इस तर्क में कोई बल नहीं दिखाई देता। चतुर्थ अनुसूची उस अधिकतम राशि को निर्दिष्ट करती है, जितनी कर के रूप में आरोपित की जा सकती है, और धारा 150-घ यह निर्धारित करती है कि कर की प्राप्त राशि किन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाएगी। हमारे मत में यह प्रावधान आयुक्तों अथवा राज्य सरकार को कर की दर निर्धारित करने के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करता है। *कलकत्ता नगर निगम बनाम लिबर्टी सिनेमा*¹ के वाद में इस न्यायालय ने बहुमत से कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम की धारा 548 की वैधता को स्वीकार किया था। बहुमत की ओर से निर्णय देते हुए, न्यायमूर्ति सरकार—जैसा कि वे तब थे—ने यह अवलोकित किया कि:

“हमें प्रतीत होता है कि इस न्यायालय के अनेक निर्णय ऐसे हैं, जो इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि किसी प्रतिनिधि प्राधिकरण के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राजस्व अर्जित करने के लिए बनाए गए किसी वैधानिक उपबंध—जैसा कि वर्तमान विचाराधीन धारा है—के संबंध में, उस कराधान निकाय की आवश्यकताएँ, जो उसे उस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए चाहिए, जिसके लिए ही उसे

1 [1965] 2 एस सी आर 477

कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई है, कर की दर निर्धारित करने की शक्ति को वैध ठहराने के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान कर सकती हैं।”

इन टिप्पणियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि धारा 150-घ आयुक्तों तथा राज्य सरकार को कर की दर निर्धारित करने के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करती है।

इसके पश्चात श्री सेन ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि धारा 82 की उपधारा (1) के परंतुक (iv) को इस आधार पर शून्य माना जाना चाहिए कि उसमें यह संकेत नहीं दिया गया है कि किन परिस्थितियों में सरकार को आयुक्तों को धारा 82 की उपधारा (1) के खंड (एफएफ) के अंतर्गत कर आरोपित करने का निर्देश देना चाहिए। हमें प्रतीत होता है कि सरकार आयुक्तों को कर आरोपित करने का निर्देश केवल उसी स्थिति में देगी, जब आयुक्त अपने कर्तव्य का समुचित रूप से निर्वहन नहीं करेंगे। अधिनियम का अध्याय XIII, जिसे अधिसूचित क्षेत्रों पर लागू किया गया है, राज्य सरकार को अधिसूचित क्षेत्रों पर नियंत्रण की शक्तियाँ प्रदान करता है और सरकार धारा 82 की उपधारा (1) के परंतुक (iv) के अंतर्गत केवल तभी कार्य करेगी, जब प्रकरण की परिस्थितियों में ऐसा करना आवश्यक हो।

इसके बाद श्री बी. सेन ने यह तर्क दिया कि अधिनियम कर के आकलन एवं निर्धारण के लिए उचित प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता। हमें इस तर्क में कोई बल नहीं दिखाई देता। हम पहले ही धारा 150-क की व्याख्याओं का उल्लेख कर चुके हैं। व्याख्या (1) स्पष्ट रूप से यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के अंतर्गत आयकर के आकलन के अधीन है, तो उसकी करयोग्य आय का निर्धारण उसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा; और यदि वह आयकर आकलन के अधीन नहीं है, तो उसकी करयोग्य आय, यथासंभव, उसी अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गणना की जाएगी।

व्याख्या (2) के संबंध में यह शिकायत की गई कि इससे कर के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर अनावश्यक भार डाला गया है, परंतु हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। आकलनधारी को केवल आकलन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश प्रस्तुत करना होता है, जिससे उसकी करयोग्य आय की राशि सिद्ध हो जाती है।

अंतिम आपत्ति यह की गई कि अधिनियम में किसी प्रकार की अपील या संदर्भ का प्रावधान नहीं है और आकलन से असंतुष्ट आकलनधारी के लिए एकमात्र उपाय धारा 150-ई के

अंतर्गत पुनर्विचार का आवेदन करना है। इन परिस्थितियों में हम यह मानते हैं कि धारा 150-ई असंतुष्ट व्यक्ति को एक युक्तिसंगत उपचार प्रदान करती है। धारा 150-ई की उपधारा (2) यह निर्देश देती है कि आवेदन की सुनवाई एवं निस्तारण धारा 115, 117, 118 तथा 119 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। ये धाराएँ अधिसूचित क्षेत्र समितियों पर लागू की गई हैं। धारा 117 के अंतर्गत पुनर्विचार कम से कम तीन आयुक्तों से युक्त एक समिति द्वारा सुना जाएगा और उक्त समिति को साक्ष्य ग्रहण करने तथा आवश्यक समझे जाने वाले अन्वेषण करने की शक्ति भी प्राप्त है। पेशा कर का विषय अत्यधिक जटिल नहीं है और हमारे मत में आकलन एवं पुनर्विचार के लिए प्रदान की गई प्रक्रिया युक्तिसंगत है।

यह उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार के तर्क पटना उच्च न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत किए गए थे और उच्च न्यायालय ने उन्हें *रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डालमियानगर बनाम बिहार राज्य* के वाद में अस्वीकार कर दिया था।

परिणामस्वरूप, यह याचिका असफल होती है और व्यय सहित खारिज की जाती है।

वाइ. पी.

याचिका खारिज।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।